ए.11018/44/2016–एम.एच/एन.सी.डी.
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एनसीडी–1

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 3 जून, 2021

जनसूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/61/2008 स्था. (आार आर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में जैव–चिकित्सा अभियन्ता पद हेतु भर्ती नियम का प्रारूप सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति /टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, जनसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदन अपने सुझाव अवर सचिव (डी.एस.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 430 'सी' विंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली.110108 को लिखित रूप में या इस ई–मेल पते s.dharminder@nic.in पर भेज सकते है।

(धर्मेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नंत्र 011–2306 2666

[भारत के राजपत्र, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 2021

<u>अधिसूचना</u>

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, बॉम्बे(समूह 'ख' राजपत्रित) भर्ती नियम 1992 को, जहां तक उनका संबध अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई में जैव-चिकित्सा अभियन्ता के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई में जैव-चिकित्सा अभियन्ता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, जैव-चिकित्सा अभियन्ता, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2021 है ।
   (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना - ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु मीमा, अर्हताएं, आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता – वह व्यक्ति –
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जैव-चिकित्सा अभियन्ता	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपये)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष और इससे कम। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	आवश्यक अर्हताएँ: (i) जैव-चिकित्सा अभियांत्रिकी में डिग्री। (ii) आवेदक के तकनीकी ज्ञान को जाँचने हेतु लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा ली जाएगी। वांछनीय अर्हताएँ: जैव-चिकित्सा अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर की डिग्री।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति सीमित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/सशस्त्र बल कार्मिकों का पुनर्नियोजन, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने स्तर-6 या समकक्ष में पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/पुनर्नियोजन(भूतपूर्व सैनिकों के लिए): ऐसे सशस्त्र बल कार्मिक, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत अथवा रिजर्व में स्थानांतरित होने वाले हों और जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखते हों, पर भी विचार किया जाएगा। चयन होने पर ऐसे कार्मिक को सशस्त्र बल से सेवामुक्त होने की तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा; उसके पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर जारी रखा जा सकता है। यदि ऐसे पात्र अधिकारी, पद के लिए वास्तविक चयन से पहले सेवानिवृत या रिजर्व में स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उन्हें पुनर्नियोजन के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। (उनका पुनर्नियोजन सिविल पदों के लिए अधिवर्षिता की तारीख तक होगा।) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ख' के लिए विभागीय पुष्टि समिति: 1. अपर निदेशक -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (पुनर्वास) -सदस्य ; 3. परामर्शदाता (निश्चेतक) -सदस्य।	लागू नहीं होता।

ए.11018/44/2016-एमएच-II

(धर्मेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार